UPHM040238182022

**न्यायालय C.J.M, Hamirpur**

**पीठासीन अधिकारी–** (SRI VINAY KUMAR SINGH), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01983**

Warrant or Summons Criminal Case/19314/2022

STATE OF UP Vs. RAHUL KUMAR TOMAR ETC

**मु०अ०सं०–649/2021**
**धारा– 376,323,504,406 भा०दं०सं०**
**थाना– राठ, जिला हमीरपुर।**

**दिनांक–30.05.2025**

**सत्र सुपुर्दगी आदेश**

अभियुक्तगण **सं०–01** राहुल कुमार तोमर पुत्र चमन सिंह, निवासी ग्राम बड़ौदा हिन्दवान, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ के विरुद्ध थाना राठ, जिला हमीरपुर की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 649/2021, अन्तर्गत धारा 376,323,504,406 भा०दं०सं० में व **सं०–02** चमन सिंह पुत्र प्रहलाद, **सं०–03** सुधा देवी पुत्री चमन सिंह, **सं०–04** नीलम तोमर पुत्री चमन सिंह, **सं०–05** खुशबू तोमर पुत्री चमन सिंह, समस्त निवासीगण ग्राम बड़ौदा हिन्दवान, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ के विरुद्ध थाना राठ, जिला हमीरपुर की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 649/2021, अन्तर्गत धारा 323,504,406 भा०दं०सं० के तहत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में जमानत पर हैं और आज न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्तगण को धारा–207 दं0 प्र0 सं0 के अनुपालन में वांछित पुलिस प्रपत्रों की नकलें प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियोजन तथा बचाव पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाता है, जो अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय, हमीरपुर द्वारा विचारणीय है।

फलस्वरूप प्रस्तुत प्रकरण विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय हमीरपुर को सुपुर्द किया जाता है। लोक अभियोजक, हमीरपुर सूचित हो। तदनुसार कैलेण्डर तैयार कर प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली सम्पूर्ण अभिलेखों के साथ माननीय सत्र न्यायालय हमीरपुर को सुपुर्द की जाती है।

अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में जमानत पर हैं और आज न्यायालय में उपस्थित हैं। अतः अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से दिनांक–13.06.2025 को उपस्थित हों।

दिनांक–30.05.2025

(विनय कुमार सिंह–IV)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हमीरपुर।

Digitally signed by VINAY KUMAR SINGH
Date: 2025.05.31 10:37:52 IST
Reason: For Order
Location: District and Sessions Court